न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः (GCMS No. 2025/195)

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– मानाराम पुत्र प्रतापराम जाति माली, निवासी–नंदपुरी, आंगणवा, रूकसान स्टील यार्ड के पास, जोधपुर।		1–नेमीचंद पुत्र मानाराम, 2–शशी पत्नी नेमीचंद, 3–नवीन पुत्र मानाराम, जाति माली, निवासी–नंदपुरी, आंगणवा, रूकसान स्टील यार्ड के पास, जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 16(1), माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.12.2024 जो न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2023 मानाराम बनाम नेमीचंद एवं अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

दिनांकः 17.02.2026

1. अपीलार्थी श्री मानाराम पुत्र प्रतापराम (स्वयं)–उपस्थित
2. प्रत्यर्थीगण 1 से 3–अनुपस्थित

आदेश

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी श्री मानाराम वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है। प्रार्थी/अपीलार्थी के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 आये दिन मारपीट व लड़ाई झगड़ा करते है। हाल ही में अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने घर से बाहर निकाल दिया था। जिस की शिकायत जिला कलेक्टर जोधपुर में की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 अपीलार्थी को बार–बार झूठे मुकदमे में फसाने की धमकिया देते है। न हीं अपीलार्थी की खाना पान की व्यवस्था व बिमार होने पर दवाई इत्यादि कि व्यवस्था रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 कर रहे है। मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 03 प्रार्थी की सेवा चाकरी करता है और तमाम तरह का खर्चा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा वहन किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 वक्त बेवक्त अपीलार्थी के साथ लड़ाई–झगड़ा करते हैं और किसी न किसी तरह उपरोक्त वर्णित रहवास से अपीलार्थी को बेदखल करने की धमकिया देते रहते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी अपीलार्थी का खर्चा वहन नहीं कर रहा है और अपीलार्थी की जमीन अंगणवा में आई हुई है। उसको मुगालते में रख कर उसे रजिस्ट्री करवा कर प्राप्त कर लीं। अपीलार्थी की खसरा संख्या 95,96,97 व 99 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा जमीन जो अपीलार्थी की है। उसको बिना प्रतिफल ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 को बेचान की है। जो अपीलार्थी का 1/12 हिस्सा था। मुगालते में रख कर रेस्पोडेन्ट संख्या

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

01 ने अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी। यह कहते हुए की हम सेवा चाकरी करगें लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 किसी भी प्रकार से अपीलार्थी की सेवा चाकरी नहीं कर रहा है। मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ही अपीलार्थी की सेवा चाकरी कर रहा है। धोखे में रखकर बिना प्रतिफल ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रजिस्ट्री करवा ली। वर्तमान में सेवा चाकरी नहीं करने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जिसको अपीलार्थी उपरोक्त जमीन देना नहीं चाहता इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में रजिस्ट्रर्ड वैचाननामा दिनांक 23/08/2006 को शून्य घोषित करवाना चाहता है। साथ ही अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से भी बीमारी व सेवा चाकरी के लिए भरण–पोषण की मांग की साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 अपीलार्थी के साथ न्युसेंस कारित नहीं करे और लड़ाई झगड़ा नहीं करे इसलिए भी अनुतोष चाहा गया है। इत्यादि आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात अधिकरण द्वारा रेस्पोडेन्टस् को नोटिस जारी किया गया हैं। बाद तामिल रेस्पोडेन्ट ने जवाब पेश कर अधीनस्थ अधिकरण में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का पूरजोर तरीके से विरोध किया। साक्ष्य लेने के पश्चात प्रार्थी/अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को सुनने के बाद प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11/12/2024 को खारिज किया गया है जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त अधार निम्न प्रकार है :–

01. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य से विपरीत जाकर आदेश पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

02. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह तथ्य भी गलत दर्ज किया है बेचाननामा को शून्य घोषित करने का अधिकार अधिकरण को नहीं है। जबकि अधिकरण को धारा 23 में प्रावधान दिया गया है कि अधिकरण दस्तावेज को शून्य घोषित कर सकता है।

03. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी गलत हवाला दिया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रतिमाह एक–डेढ़ लाख रूपये तक आय होती है। जिसके संबंध में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का विरुद्ध दर्ज नहीं करवाये जाने से न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा किया गया कथन सही प्रतीत होने से भरण–पोषण दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दी गई फांइडिग बिना किसी आधार पर दी गई है। प्रार्थी/अपीलार्थी अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ था जो चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है। वह ठेकेदारी का कार्य कैसे कर सकता है व एक–डेढ लाख रूपये प्रतिमाह कैसे कमा सकता यह समझ से परे है। रेस्पोडेन्ट द्वारा न तो प्रार्थी/अपीलार्थी ठेकेदारी का कार्य करता है। इस बाबत दस्तावेज या साक्ष्य पेश किये न ही कोई आयकर विवर्णिका पेश की। बिना किसी साक्ष्य के यह कैसे माना जा सकता है कि अपीलार्थी की आय इतनी ज्यादा है। अधीनस्थ अधिकरण ने बिना किसी आधार के ही प्रार्थी /अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से भरण–पोषण की राशि नहीं दिलवायी हैं और रेकर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से विपरीत जाकर आदेश पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

04. यह है कि अधीनस्थ अधिकरण को धारा 23 में पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है कि किसी दस्तावेज को शून्य घोषित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में यह दस्तावेज

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

उपलब्ध था कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 के पक्ष में एक रजिस्ट्रर्ड बैचाननामा निष्पादित किया था, जो बिना कोई प्रतिफल के किया था। जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 3 के पक्ष में किया था, क्योंकि दोनों पुत्रों के वीच में कोई विवाद नहीं हो। पिता पुत्र के पक्ष में बैचाननामा प्रतिफल लेकर कैसे कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 के पक्ष में वेचाननामा अपनी सुविधा के लिए किया था वह भी बिना प्रतिफल के रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 प्रार्थी/अपीलार्थी की सेवा चाकरी करेंगे। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसकी पत्नि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने प्रार्थी/अपीलार्थी की सेवा चाकरी नहीं कर रहे है व उसके साथ मारपीट की जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 प्रार्थी/अपीलार्थी के साथ लड़ाई–झगडा करते है व मारपीट करते है। उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए अधिकरण ने प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जो आदेश विधि विरूद्ध था जो अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों को प्रस्तत करते हुए अपील अपीलांट ने निवेदन है कि आदेश दिनांक 11/12/2024 प्रकरण संख्या 56/2023 बअनवान मानाराम बनाव नेमीचंद को निरस्त/अपास्त किया जावें एवं बैचाननामा दिनांक 23/08/2006 को शून्य घोषित किया जावें तथा अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 7000/– रूपये का भरण–पोषण व दवाईयों का खर्चा दिलवाया जावें अन्य कोई उचित आदेश हो तो अपीलार्थी के पक्ष में फरमाया जावें।

अपील दर्ज (जीसीएमएस नं 2025/195) कर प्रत्यर्थीगण//अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को नोटिस प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 12.08.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर जवाब प्रस्तुत किया। जो पत्रावली कर प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थीसंख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अपीलार्थी की अपील के तथ्यों से इंकार करते हुए अपील निरस्त करने का निवेदन किया गया है। जवाब में प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माननीय अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 से व्यथित होकर, बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की है, जो कि प्रथम दृष्टया ही पोषणीय न होने से काबिले निरस्तीनीय है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिन्ना किसी तथ्य व साक्ष्य के प्रकरण को निर्धारण किया है व भरण–पोषण हेतु आदेश दिया जाना न्यायौचित नहीं है, जो कि पूर्णतय मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार्य है व माननीय अधिकरण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यो व विधिक स्थिति का विस्तृत विवेचन कर हस्तगत आदेश फरमाया गया है, जो कि पूर्णतय विधि अनुरुप है। अप्रार्थी से 1 व 2 द्वारा हमेशा प्रार्थी व माता कि सेवा–सुश्रुषा की गई है व उक्त कथनों की ताईद में शपथ पत्र जबाब के साथ प्रस्तुत है. जिसे पत्रावली का अंग शुमार किया जाने का सादर निवेदन है। माननीय अधिकरण न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के अवलोकन के उपरान्त आदेश न्यायसंगत रुप से फरमाया है जो विधि अनुरुप होने से अपहेल्ड (यथावत) किये जाने योग्य है।

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपीलार्थी व अप्रार्थीगण को बहस हेतु दिनांक 09.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025, 18.11.2025, 23.12.2025, 20.01.2026 व 03.02.2026 को अनेक अवसर प्रदान किये गये। अपीलार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी बहस नहीं किये जाने पर दिनांक 03.02.2026 को बहस बंद की जाकर दिनांक 17.02.2026 को आदेश सुनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत अपील व जवाब के तथ्यों पर मनन किया। प्रस्तुत अपील न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर के प्रकरण संख्या 56/2023 में किये गये आदेश दिनांक 11.12.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील में अपीलांट ने कि बेचाननामा दिनांक 23/08/2006 को शून्य घोषित करने तथा अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 7000/– रूपये का भरण–पोषण व दवाईयों का खर्चा दिलवाया जाने हेतु निवेदन किया गया। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किये गये संपत्ति के अंतरण को ही शून्य घोषित किया जा सकता है, जबकि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिनांक 23.08.2006 को अधिनियम प्रारंभ होने के पूर्व किये जाने के कारण उक्त बेचाननामा शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं है तथा अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से भरण–पोषण व दवाईयों का खर्चा दिलाने की अपील भी इस आधार खारिज की जाती है, की अपीलार्थी की सेवा चाकरी, खान–पान तथा दवाई इत्यादि की व्यवस्था रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा की जा रही है तथा अपीलार्थी को कृषि तथा ठेकेदारी कार्य द्वारा पर्याप्त आय प्राप्त हो रही है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर)
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर)
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)